न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 28/2021 दायरा दिनांक : 01.03.2021

उनवान

1 रामकरण पुत्र गुलाब चन्द, जाति गुर्जर

2 कमलेश पत्नि रामकरण, जाति गुर्जर,

अकवाम निवासीगण ग्राम अकावदकला, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1 बगजी पुत्र कस्तूरा, जाति रेबारी, निवासी ढाणी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकाम :–

1/1 लाल चन्द पुत्र बगजी, जाति रेबारी

1/2 सोभाग चन्द पुत्र बगजी जाति रेबारी

1/3 ओम प्रकाश पुत्र बगजी, जाति रेबारी

अकवाम निवासीगण ग्राम शिवनगर उर्फ ढाणी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/4 सुमित्रा बाई पुत्री बगजी पत्नि शंकर लाल, जाति रेबारी

1/5 गुड्डी बाई पुत्री बगजी पत्नि सूजी लाल, जाति रेबारी

अकवाम निवासीगण बडाखेडा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1/6 ममता बाई पुत्री बगजी पत्नि बाबूलाल, जाति रेबारी, निवासी रेबारियों की ढाणी पोस्ट असावदा, माताजी, जिला चित्तौडगढ

1/7 बब्बू बाई पत्नि बगजी, जाति रेबारी शिवनगर उर्फ ढाणी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2 दरयाव बाई पुत्री कस्तूरी, जाति रेबारी, निवासी ढाणी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3 नफीस खां पुत्र मोहम्मद नसीम खां, जाति मुसलमान

4 रासिद खां पुत्र नफीस खां, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण ग्राम रिझंवा, तहसील छबडा, जिला बारां

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं0 1/1

लगायत 1/7 की ओर से एवं शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.10.2013 संशोधित आदेश दिनांक 08.05.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिक़ारी, खानपुर जिससे वाद संख्या 226/प्रार्थना पत्र/2013 वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया गया।

निर्णय दिनांक : 10.07.2023

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 ग्राम भूमरी, तहसील खानपुर के माल में सैटलमेंट से पूर्व खतौनी संख्या 60 की खसरा नम्बर 517/364–391 की 24 बीघा 7 बिस्वा, 562/315–389 की 7 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 522/395 की 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 563/399 की 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 564/399 की 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 565/399 की 5 बीघा 7 बिस्वा कुल 48 बीघा 8 बिस्वा आराजी पूरवा पुत्र लटूर रेबारी के खातेदारी में स्थित थी।

3 नामान्तरकरण नम्बर 128 से ग्राम भूमरी की आराजी खसरा नम्बर 154 की 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 की 20 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 की 36 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 की 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 की 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 की 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 की 28 बीघा कुल 99 बीघा 7 बिस्वा आराजी आशाराम, लखमा लाल, सुन्दर बाई, इन्द्रा बाई, पिसरान पूर्वा के खाते दर्ज की गई। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 2 वर्णित आराजी को मिला कुल आराजी 147 बीघा 15 बिस्वा जमाबंदी से 5 संवत 2023–2026 में दर्ज खाते की गई थी। आराजी का खाता शामिल ही चला आ रहा था।

4 सम्पूर्ण आराजी का खाता शामिल ही चला आ रहा था। उक्त आराजी में से कुछ आराजी सारोला बांध में अधिग्रहण कर ली गई तथा शेष आराजी जो बची थी उसे सैटलमेंट विभाग ने बिना किसी अधिकार के पृथक पृथक खाते दर्ज कर दी। सैटलमेंट विभाग ने निम्न खाते पृथक कर दिये –

5 जमाबंदी नम्बर 99 की खसरा नम्बर 528 की 3 बीघा 3 बिस्वा बीड दोयम, खसरा नम्बर 529 की 21 बीघा 13 बिस्वा आराजी सोयम कुल 2 किता की 24 बीघा 16 बिस्वा आसाराम पुत्र पूरवा के खाते दर्ज कर दी।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6 जमाबंदी नम्बर 100 खसरा नम्बर 494 की 5 बीघा 11 बिस्वा बीड, खसरा नम्बर 503 की 2 बीघा 18 बिस्वा बीड, खसरा नम्बर 512 की 9 बीघा 19 बिस्वा बीड, खसरा नम्बर 526 की 9 बीघा 3 बिस्वा बीड, खसरा नम्बर 531 की 8 बीघा 11 बिस्वा बीड जुम्ला 5 किता की 36 बीघा 2 बिस्वा आसाराम, लछमा पिसरान पूरवा 1/2 सुन्दर बाई, इन्द्रा बाई बेटी पूरवा 1/2 हिस्से के अनुसार खातेदारी में दर्ज की गई।

7 जमाबंदी नम्बर 121 की खसरा नम्बर 519 की 3 बीघा 10 बिस्वा बारानी, खसरा नम्बर 520 की 16 बीघा 10 बिस्वा बारानी, खसरा नम्बर 521 की 13 बिस्वा आराजी, खसरा नम्बर 527 की 3 बीघा 2 बिस्वा बारानी कुल 4 किता की 23 बीघा 15 बिस्वा आराजी लछमा पुत्र पूरवा के खातेदारी में दर्ज कर दी।

8 वाद/प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित खसरा नम्बरान एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी के नये खसरा नम्बर 519 के 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 520 की 16 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 521 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 527 की 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 528 की 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 529 की 21 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 की 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 512 की 9 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 की 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 531 की 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 594 की 5 बीघा 6 बिस्वा हुए हैं। इनके अलावा शेष खसरा नम्बर सारोला बांध में चले गये हैं। इनका कुल रकबा 84 बीघा 13 बिस्वा बना है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/4 भाग है तथा 1/4 भाग आसाराम, 1/4 भाग लखमीलाल, 1/4 भाग इन्द्राबाई का था। नये खसरा नम्बरान के अनुसार कुल रकबा 84 बीघा 13 बिस्वा हुआ।

9 सैटलमेंट विभाग ने बिना किसी अधिकार के आराजी के 3 खाते बना दिये और उनमें हिस्सा विभाजन कर गलती की है। खाता नं. 99 की 24 बीघा 16 बिस्वा आराजी आसाराम के पृथक खाते दर्ज कर दी तथा जमाबंदी नं. 121 सिर्फ लछमीलाल के खाते दर्ज कर दी तथा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जमाबंदी नं. 100 में आसाराम, लछमीलाल, सुन्दरबाई, इन्द्राबाई के नाम बांट बराबर कर दर्ज कर दिया। उक्त कार्यवाही करने खाते पृथक पृथक करने का सैटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। सैटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट एक खाते के 3 खाते पृथक पृथक कराना कानून के विरूद्ध तथा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

10 सम्पूर्ण आराजी 84 बीघा 13 बिस्वा में से खसरा नम्बर 494 की 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 512 की 17 बिस्वा कुल 6 बीघा 15 बिस्वा आराजी बांध के अधिग्रहण कर ली गई थी जिसका मुआवजा पक्षकारान प्राप्त कर चुके हैं। उसे निकालने के बाद 77 बीघा 18 बिस्वा आराजी बचती है। उक्त 77 बीघा 18 बिस्वा में प्रार्थीगण का 1/4, प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 का 1/4, प्रतिवादी नम्बर 4, 5 का 1/4 हिस्सा तथा इन्द्राबाई का 1/4 हिस्सा था।

11 अर्जुन अप्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 529 की 21 बीघा 13 बिस्वा में से 31/150 हिस्सा शामिल प्रतिवादी को बेचान कर दिया, जिसका नामान्तरकरण भी खुल गया है। इन्द्राबाई की मृत्यु हो गई है। उनके वारिसान प्रति0 राधा किशन, बापू, देवकरण हैं। इन्द्रा ने अपना कुछ हिस्सा दौलतराम को बेच दिया है उसके हिस्से पर दौलतराम का नाम दर्ज हो गया है तथा भगवती एवं गायत्री ने भी अपने हिस्से की आराजी का रिलीजडीड दौलतराम एवं भागचन्द प्रति0 के पक्ष में कर दिया है। इस कारण भगवती एवं गायत्री को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

12 अब वर्तमान आराजी 77 बीघा 5 बिस्वा में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रति0 दौलतराम, लछमीलाल का 1/4 हिस्सा है। राधाकिशन, बापू, देवकरण का 1/4 हिस्सा है। आराजी का कोई विधि सम्मत विभाजन पक्षकारानों में नहीं हुआ है।

13 सैटलमेंट के द्वारा गलत रूप से खाते अलग कर देने से पक्षकारान के हिस्सा प्रभावित हुए हैं। इसकी जानकारी प्रार्थीगण को

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

होने पर उन्होंने नकले पुरानी रेकार्ड प्राप्त किया तथा अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को 1/4 हिस्से की आराजी देने उनका खाता विभाजन करने हेतु कई बार कहा अंतिम बार दिनांक 24.04.2012 बैसाख सुदी 3 पर इंकार होने से प्रार्थना पत्र हेतु उत्पन्न हुआ। अप्रार्थी क्रम 1, 2, 3 ने जमीन का बेचान करने की धमकी दी है।

14 प्रतिवादीगण हरजी, अर्जुन, जोधराज ने आराजी मुतनाजा में से दिनांक 08.08.2012 को ग्राम भूमरी की खसरा नम्बर 528 की 3 बीघा 3 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 529 की 21 बीघा 13 बिस्वा का 119/150 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 531 की 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 की 13 बीघा कुल आराजी का बेचान नफीस खां पुत्र मोहम्मद, नसीम खां, राशिद पुत्र नफीस खां मुसलमान निवासी रीछवा, तहसील छबडा, जिला बारां को कर दिया है। उक्त बेचान निम्न आधारों पर वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर है।

15 उक्त बेचान प्रति0 को दावे एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. टी. ए. के सम्मन की तामील होने के बाद दौराने दावा बेचान किया है। अतः लिस पेन्डिंग के सिद्धांत के अनुसार उक्त बेचान वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर है।

16 बेचान की गई आराजी वादीगण एवं प्रति0 के शामलाती खाते की आराजी है जिसका विभाजन मीट्स एवं बाउंड्स में वैध रूप से नहीं हुआ है।

17 आराजी पूर्व से बैंक में रहन थी, आराजी पर कब्जा भी नहीं सौपा गया है।

18 क्रेतागण स्ट्रेन्जर खरीददार हैं उन्हें बिना विभाजन कराये कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं ।

19 आराजी शामलाती खाते की है इसमें से विशिष्ट खसरा नम्बर का बेचान कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20 आराजी विक्रय शुदा का अभी नामान्तरकरण भी केता के पक्ष में नहीं खोला गया है। केतागण नामान्तरकरण खुलाने की कोशिश में है।

21 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नफीस खां, राशिद खां के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि क्रयशुदा आराजी ग्राम ढाणी, तहसील खानपुर की खसरा नम्बर 526, 528, 529, 531 का नामान्तरकरण अपने नाम नहीं खुलवाकर तस्दीक नहीं करावें तथा आराजी क्रयशुदा पर वाद के निर्णय तक बिना विभाजन कराये कब्जा नहीं करें। अप्रार्थी तहसीलदार खानपुर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करें तथा अप्रार्थीगण आराजी का बेचान, रहन नहीं करें।

22 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

23 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2013 अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट पर एकपक्षीय सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि हमने दिनांक 06.06.2012 को दावा पेश किया है तथा दावा पेश होने के उपरान्त दिनांक 08.08.2012 को अजनबी केता को आराजी का बेचान किया गया है। वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते की है बिना बंटवारा हुए किसी एक खसरा नम्बर का बेचान नहीं किया जा सकता। आराजी बैंक के रहन भी दर्ज है। अतः हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें तथा अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह दौराने दावा अपने नाम इंतकाल नहीं खुलवावे एवं वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं करें।

24 हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। यहां हम अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों से सहमत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद ग्राम ढाणी की खसरा नम्बर 526, 528, 529, 531 की

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रय शुदा आराजी का इंतकाल अपने नाम खुलवाकर तस्दीक नहीं करावें तथा बिना विभाजन कराये उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करें। साथ ही आराजी का रहन, बेचान भी नहीं करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील मूल वाद के सलंग्न रहे।

25 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.05.2018 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार केम्प शिवनगर ढाणी में पेश हुई। प्रार्थी बगजी ने धारा 152 सी पी सी के अन्तर्गत प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है कि इस पत्रावली में दिनांक 23.10.2013 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम ढाणी की खसरा नम्बर 526, 528, 529, 531 के सम्बन्ध में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित हुआ है, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजी ग्राम ढाणी की न होकर ग्राम भूमरी की है। अतः ग्राम का नाम ढाणी के स्थान पर ग्राम भूमरी दुरूस्त किया जावे।

26 प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 में ग्राम भूमरी की खसरा नम्बर 526, 528, 529, 531 अंकित है तथा इनके सम्बन्ध में ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है जबकि दिनांक 23.10.2013 को पारित आदेश में ग्राम ढाणी की खसरा नम्बर 526, 528, 529, 531 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। यह त्रुटि लिपिकीय भूल है तथा दुरूस्त होने की मोहताज है।

27 अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 23.10.2013 को पारित आदेश में अंकित ''ग्राम ढाणी की खसरा नम्बर 526, 528, 529, 531'' के स्थान पर ग्राम भूमरी की खसरा नम्बर 526, 528, 529, 531'' दुरूस्त किये (पढ़े जाने) जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तदनुसार सम्बन्धित को पालनार्थ सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील मूल वाद के सलंग्न रहे।

28 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

29 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त योग्य है।

30 अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में निर्णय जैर अपील कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित किया है। विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रावधानों के विपरीत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो अवैधानिक है।

31 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 जो विवादित आराजी के सहखातेदार है के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में त्रुटि की है। कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध अपने हिस्से की आराजी के मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, किसी भी सहखातेदार को अपने हिस्से की आराजी किसी भी तरह हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया।

32 अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। धारा 212 के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति इन तीनों बिन्दुओं का निर्धारण न कर केवल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो अवैधानिक है।

33 विवादित आराजी में प्रार्थी क्रम 1 व 2 के द्वारा खसरा नम्बर 531/750 व 526/751 की आराजी का बेचान दिनांक 03.05.2018 को 8 लाख रूपये में अपीलांट रामकरण को किया गया है एवं खसरा नम्बर 529 की 21 बीघा 13 बिस्वा आराजी में से 119/150 हिस्सा नफीस खां व रसिद खां के द्वारा अपीलांट क्रम 2 कमलेश को दिनांक 03.05.2018 को 22 लाख रूपये में किया गया है। इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी पर बहेसियत विधिक खातेदार एवं काबिज है। इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के दावे में भी पक्षकार बनाये गये हैं और माननीय न्यायालय में भी हितबद्ध पक्षकार होने से यह अपील पेश करने के अधिकारी हैं।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

34 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2013 को निर्णय पारित किया गया है, परन्तु हितबद्ध व्यक्तियों को सुने बिना ही दिनांक 08.05.2018 को अर्थात् करीब 5 वर्ष बाद एक तरफा आदेश में दुरूस्त करने की आज्ञा धारा 152 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर पारित कर दी है। जबकि कानूनन नसिफ खां व रसिद खां को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को सुने बिना लम्बे अर्से बाद संशोधित आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अपीलांट क्रेता होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2013 के विरूद्ध अपील पेश करना आवश्यक हो गया है।

35 अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2013 एवं आदेश दिनांक 08.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

36 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.02.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

37 अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी में अप्रार्थी कम 1 व 2 के द्वारा खसरा नम्बर 531/750 व 526/751 की आराजी का बेचान दिनांक 03.05.2018 को 8 लाख रूपये में अपीलांट रामकरण को किया गया है एवं खसरा नम्बर 529 की 21 बीघा 13 बिस्वा आराजी में से 119/150 हिस्सा नफीस खां व रसिद खां के द्वारा अपीलांट कम 2 कमलेश को दिनांक 03.05.2018 को 22 लाख रूपये में किया गया है। इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी पर बहेसियत विधिक खातेदार एवं काबिज है। इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के दावे में भी पक्षकार बनाये गये हैं और माननीय न्यायालय में भी हितबद्ध पक्षकार होने से यह अपील पेश करने के अधिकारी हैं।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, बांसवाड़ा

38 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए अपील पेश करने की इजाजत फरमायी जावे।

39 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

40 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

41 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

42 अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई, तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

43 अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में सी पी सी पेज 848 धारा 151 सी पी सी एवं सी पी सी पेज 825 धारा 152 सी पी सी पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

44 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी पी सी स्वीकार किया जिसकी अपील इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई।

45 चूंकि धारा 152 निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन की धारा है। इसमें निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की गई लेखन या गणित सम्बन्धी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी।

46 धारा 152 सी पी सी के विरूद्ध अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः इसी स्तर पर अपील खारिज की जाती है।

47 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

48 निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/7/2023
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा